

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14012/12/2013 - अ.भा.से.-111

भारत सरकार


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 2013

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, झारखण्ड राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शायी गई तिथि (तिथियों) से स्थायी करते हैं:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	बैंच	स्थायी करने की तारीख
1	ए. मुथुकुमार	2009	31.08.2011
2	मुकेश कुमार	2009	31.08.2011
3	उमा शंकर सिंह	2009	31.08.2011


(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)